MRT

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of Order of Proceeding

Order or Proceeding With Signature of Rresiding Officer | Signature of Part

Signature of Parties of pleaders where Necessary

14-517

अभियुक्त / अभियुक्तगण अनिवर्षिक । जिला कि शास्त्र भी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्री हारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत

'किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग।
पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या।
अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उंपरोक्तानुसार।
भारादंग्रंग / अधिनियम के अधीन कार्यवाहाँ किये जाने के
आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा।
190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरणं का पंजीयन आपराधिक पजी... 8411} ... में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों। के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण। की ओर से 7000 /— (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि। का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त। किया जाये।

जाने पर

चूकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अत सक्षिप्त विचारण प्रान गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं। किया के अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त की दिवस का साधारण कारावास भ्गताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अगियुक्त को प्रदान कर पावती ली।

जप्तसुदा संपत्ति रूपये राजसात किये जाये। संपत्ति दुर्भ रूपि मूल्यहीन होने से नष्ट कर को लौटायां, जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेत् आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> PA: KETUPING Judicial magistrate PSI tlass, Gohad Dist.Bhind (NPP)

प्नश्चः निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्त गण ने अर्थदण्ड की राशि। क0. 6.90/ स्सीत क0. 15 की अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो। (0

Judicial magistrate) firstoclass,